न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला
जिला मोहला मानपुर अं.चौकी (छ.ग.)

रा.प्र.क्र.202504300300005 अ–62 वर्ष 2024–25

श्री उमाशंकर देवांगन आ0 केशर राम देवांगन
जाति कोष्टा, साकिन कान्हे, तहसील अं.चौकी
जिला मोहला मानपुर अं.चौकी

.... आवेदक

विरूद्ध

छ.ग. शासन

.... अनावेदक

//आदेश//

आवेदक श्री उमाशंकर देवांगन आ0 केशर राम देवांगन जाति कोष्टा साकिन कान्हे तहसील अं.चौकी, जिला मोहला मानपुर अं.चौकी द्वारा धानापायली जाने वाले मार्ग पर घर के सामने सागौन वृक्ष सुखा होने से घर में गिरने की संभावना है, जिससे जन–धन की हानि होने के कारण उक्त पेड़ को काटने की अनुमति दिये जाने हेतु सुशासन तिहार के आवेदन क्रमांक 25270108800001 के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

02. प्रकरण अ–62 में पंजीबद्ध किया गया है।

03. प्रकरण में वृक्षों के विदोहन के संबंध में वन परिक्षेत्र अधिकारी अं.चौकी एवं राजस्व निरीक्षक अं. चौकी से संयुक्त स्थल कर जांच प्रतिवेदन में पंचनामा रिपोर्ट लिया गया। अपने प्रतिवेदन में खसरा नं. 77 रकबा 1.796 हे0 मद् सड़क रास्ता में स्थित एक नग सुखा सागौन पेड जिसकी सीना गोलाई 2.50 मीटर, ऊचांई लगभग 40 फीट जो कि मृत अवस्था में आंधी तुफान आने से कभी भी जन हानी होने की संभावना होना प्रतिवेदित किया गया है।

04. प्रकरण में छ.ग. राजस्व (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित दिनांक 24 नवम्बर 2022 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 24.11.2022 की अधिसूचना क्रमांक एफ 4–03/सात–1/2022 एवं छ.ग. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 258 की उपधारा (2) के खण्ड (इकसठ) एवं (बैंसठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वृक्षों की विनियमित या रोकने संबंधी नियम अधिसूचना क्रमांक एफ–2–8–सात–शा–8–94 दिनांक 29.07.1997 तथा शासकीय वनों से लगे हुए ग्रामों में ईमारती वृक्षों को गिराने तथा हटाने को विनियमित करने के संबंध में नियम अधिसूचना क्रमांक 218–6477–सात नियम दिनांक 06.01.1960 को अतिष्ठित किये गये नियम 03 के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए वन परिक्षेत्र अधिकारी एवं राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के जांच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए आवेदक उमाशंकर देवांगन आ0 केशर राम देवांगन जाति कोष्टा साकिन कान्हे तहसील अं.चौकी, जिला मोहला मानपुर अं.चौकी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर कान्हे स्थित भूमि खसरा नं. 77 रकबा 1.7960 हे. शासकीय भूमि पर लगे 01 नग सागौन वृक्ष को संहिता की धारा 240 के तहत् लोकहित में काटे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. प्रभावित वृक्षों को काटे जाने की अपेक्षा यदि संभव हो तो अन्यत्र स्थानांतरित करने की कार्यवाही की जावें।
2. वृक्षों की कटाई वन विभाग द्वारा किया जावेगा।
3. काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में 10 गुना संख्या में (कम से कम 5 फीट की ऊंचाई वाले) वृक्षों का रोपण चयनित स्थान पर किया जावेगा।

अनुविभागीय अधिकारी राज. मोहला जिला मोहला मानपुर अं. चौकी

Scanned with OKEN Scanner

4. काटे गये वृक्ष के काष्ठ को वन विभाग अपने निकटत डिपो में परिवहन कर विक्रय पश्चात प्राप्त धन राशि राजस्व मद् में जमा कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
5. स्वीकृत संख्या से अधिक वृक्षों को न काटा जावे।
6. सूर्यास्त तथा सूर्योदय के बीच कोई वन पैदावार नही काटी जायेगी न ही ले जाई जाएगी।
7. वृक्षों की कटाई में वन विभाग, विघुत मण्डल एवं लोक निर्माण विभाग के समन्वय से किया जावें तथा इस दौरान सक्षम अधिकारी भी मौके पर उपरिथत रहेगें।
8. उक्त शर्तो का उल्लंघन होने पर यह अनुमति स्वमेव निरस्त मानी जावे।

यह आदेश आज दिनांक 09/05/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है।

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व), मोहला
जिला मोहला मानपुर अं.चौकी

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर महोदय, मोहला मानपुर अं.चौकी की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वन मण्डलाधिकारी, मोहला मानपुर अं.चौकी की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. तहसीलदार अं.चौकी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. वन परिक्षेत्र अधिकारी अं.चौकी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. आवेदक श्री उमाशंकर देवांगन पिता केशर राम देवांगन निवासी कान्हे तहसील अं.चौकी को सूचनार्थ।

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व), मोहला
जिला मोहला मानपुर अं.चौकी

Scanned with OKEN Scanner